संविधान एवं नियम

“नेशनल एलाइड एंड हैल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन”

(पूर्ववर्ती नाम : भारतीय पराचिकित्सीय एसोसिएशन–2021)

"नेशनल एलाइड एंड हैल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन" का संविधान

प्रस्तावना

हम, भारतवर्ष के विविध प्रान्तों एवं समुदायों से सम्बद्ध, स्वास्थ्य सेवा एवं एलाइड हेल्थ प्रोफशन के कर्मयोगी, यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि–

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच प्रत्येक नागरिक तक समान रूप से सुनिश्चित हो, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स एवं हैल्थ केयर कर्मियों को उनके परिश्रम, विशेषज्ञता और योगदान के अनुरूप मान्यता एवं सम्मान प्राप्त हो, प्रशिक्षण, अनुसंधान, एवं सतत कौशल–विकास के माध्यम से आधुनिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाया जाए, परस्पर सहयोग, भाईचारा एवं सेवा भावना के आधार पर एक अखिल–राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाए, **संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 47 (राज्य का कर्तव्य–सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर को उन्नत करना)** की भावना को मूर्त रूप दिया जाए।

अतः, हम सब मिलकर इस **"नेशनल एलाइड एंड हैल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन"** की स्थापना करते हैं, ताकि – एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स एवं हैल्थ केयर कर्मियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा हो। स्वास्थ्य शिक्षा, शोध एवं कौशल–विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकरूपता स्थापित हो। सभी सदस्यों में सेवा, सहयोग, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो। समाज के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने का लक्ष्य साकार किया जा सके।

यह संघ, धर्म, जाति, लिंग, भाषा अथवा क्षेत्रीय भेदभाव से परे, समान अवसर एवं समान सेवा के सिद्धांत पर आधारित होगा और "सर्वे सन्तु निरामयाः" (सब स्वस्थ रहें) के आदर्श वाक्य को अपने मूल ध्येय के रूप में धारण करेगा।

भाग –1ः नाम, क्षेत्र और उद्देश्य

अनुच्छेद 1ः संस्था का नाम

इस संस्था का नाम **"नेशनल एलाइड एंड हैल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन"** (National Allied and Health Care Professionals Association) होगा।

अनुच्छेद 2: मुख्यालय

संस्था का मुख्यालय भारत में स्थित होगा। एसोसिएषन विभिन्न देशों एवं राज्यों में शाखाएँ स्थापित कर सकेगी।

अनुच्छेद 3: कार्यक्षेत्र

संस्था का कार्यक्षेत्र वैश्विक स्तर पर रहेगा।

अनुच्छेद 4: उद्देश्य

1. समान स्वास्थ्य अधिकार की सुनिश्चितता हेतु–संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 21 के आलोक में प्रत्येक नागरिक को जीवन के अधिकार के साथ–साथ स्वास्थ्य सेवा के मूलभूत अधिकार का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
2. एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की गरिमा की स्थापना हेतु–स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत तकनीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग सहयोगी, चिकित्सीय सहायक एवं अन्य संबद्ध पेशेवरों को विधिसम्मत मान्यता, प्रतिष्ठा और संरक्षण प्रदान करना।
3. कौशल विकास एवं शिक्षा का प्रोत्साहन हेतु–चिकित्सा एवं एलाइड हेल्थ क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण, सतत शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना तथा समान रूप से सभी वर्गों तक पहुंचाना।
4. एकरूपता एवं मानकीकरण हेतु–राष्ट्रीय स्तर पर एलाइड हेल्थ शिक्षा, प्रशिक्षण, सेवा मानदंड एवं व्यावसायिक आचारसंहिता का मानकीकरण कर समन्वय स्थापित करना।
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु–अनुच्छेद 47 की भावना के अनुरूप राज्य के कर्तव्य में सहयोग करते हुए, निवारक, उपचारात्मक एवं पुनर्वासात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना।
6. सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण हेतु–एसोसिएशन से संबद्ध प्रत्येक सदस्य के व्यावसायिक, सामाजिक एवं विधिक अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके हितार्थ उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
7. समाजोपयोगी सेवाओं के संवर्धन हेतु–ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वंचित, अल्पसुविधा प्राप्त एवं पिछड़े वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए जनहितकारी कार्यक्रमों, शिविरों एवं योजनाओं का संचालन करना।
8. सहयोग एवं समन्वय हेतु–राज्य एवं केंद्र सरकार, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण परिषदों, अस्पतालों, गैर–सरकारी संगठनों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।
9. अनुशासन एवं आचारसंहिता हेतु–संघ के प्रत्येक सदस्य में पेशेवर आचारसंहिता, अनुशासन, सेवा–भाव एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना तथा उल्लंघन की दशा में उपयुक्त दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित करना।

10. **सर्वे सन्तु निरामयाः**– इस आदर्श वाक्य की भावना के अनुरूप, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य की समग्र उन्नति को लक्ष्य बनाना।

11- **सर्वजन हेतु स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) हेतु** – प्रत्येक नागरिक को सस्ती, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं समान स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक, भौगोलिक अथवा सामाजिक कारणों से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे।

12- **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के संवर्धन हेतु** – WHO द्वारा प्रतिपादित *Primary Health Care Approach* को अपनाते हुए, समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना एवं प्राथमिक स्तर पर निवारक और उपचारात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

13- **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति हेतु** – संयुक्त राष्ट्र एवं WHO द्वारा निर्धारित *Sustainable Development Goals* (विशेषतः Goal No. 3: Good Health and Well-being) को साकार करने हेतु एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का संगठित योगदान सुनिश्चित करना।

14- **सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों हेतु तत्परता** – महामारी, आपदा, संक्रामक रोग प्रकोप एवं आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों में त्वरित एवं संगठित सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रोफेशनल्स का प्रशिक्षण एवं नेटवर्क विकसित करना।

15- **मानसिक स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु** – WHO द्वारा प्रतिपादित *Mental Health Action Plan* के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करना तथा परामर्श, उपचार एवं पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार करना।

16- **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु** – शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा कुपोषण को न्यूनतम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना एवं WHO के *Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health (RMNCAH)* कार्यक्रमों से समन्वय स्थापित करना।

17- **संक्रामक एवं असंक्रामक रोग नियंत्रण हेतु** – WHO के मानकों के अनुरूप टीकाकरण, जागरूकता एवं उपचार कार्यक्रमों का संचालन करना तथा कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसे असंक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु योजनाएँ चलाना।

18- **स्वास्थ्य शिक्षा एवं जन-जागरूकता हेतु** – आम जनता में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का प्रसार करना, जीवनशैली से जुड़े रोगों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाना तथा स्वास्थ्य को *अधिकार* एवं *कर्तव्य* दोनों रूपों में स्थापित करना।

19- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु** – विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ के *International Health Regulations* तथा अन्य वैश्विक निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाना।

20- **पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को प्रोत्साहन हेतु** – जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कार्य करना और WHO की *One Health Approach* को लागू करना।

भाग – 2 : सदस्यता

अनुच्छेद 5: सदस्यता के प्रकार

1 सामान्य सदस्य

2 जीवन सदस्य

3 मानद सदस्य

4 संस्थागत सदस्य

अनुच्छेद 6: सदस्य बनने की योग्यता

1. मूल योग्यता

- भारत का या किसी भी देश का नागरिक
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष
- सर्वधर्म समभाव, मानवता, शांति, सेवा, और एकता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति
- किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, वर्ग से हो सकता है

2 नैतिक व सामाजिक योग्यताः

- सामाजिक, धार्मिक या संवैधानिक अपराध का दोषी न हो
- किसी राष्ट्र–विरोधी, आतंकवाद, या साम्प्रदायिक गतिविधियों में संलिप्त न हो
- संगठन के उद्देश्यों के प्रति निष्ठा और सक्रिय सहभागिता की भावना हो

3. शैक्षिक / वैचारिक योग्यताः (अनिवार्य नहीं, पर प्राथमिकता योग्य)

- कम से कम माध्यमिक (10वीं) उत्तीर्ण
- सेवा कार्य, धार्मिक समन्वय या सामाजिक गतिविधियों का अनुभव हो

4. अन्य आवश्यकताएंः–

- निर्धारित सदस्यता शुल्क का भुगतान
- सदस्यता प्रपत्र पूर्ण रूप से भरना
- दो परिचित सदस्यों से अनुशंसा
- संगठन के नियमों और संविधान से सहमति देना

5. सदस्य बनने के प्रकारः

प्रकार	विवरण
सामान्य सदस्य	सामान्य सहभागिता हेतु
कार्यकर्ता सदस्य	सेवा व प्रचार कार्य में सक्रिय भागीदारी

जीवन सदस्य	एकमुश्त शुल्क देकर आजीवन सदस्यता
मानद सदस्य	विशेष योगदान के लिए आमंत्रित व्यक्ति
संस्थागत सदस्य	कोई संस्था जो सर्वधर्म के उद्देश्यों में साथ हो

6. सदस्य बनने के लाभः

1. **व्यावसायिक मान्यता एवं गरिमा का संरक्षण**

इस संघ की सदस्यता से संबद्ध प्रत्येक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को उनके कार्यक्षेत्र में विधिसम्मत मान्यता, पहचान और व्यावसायिक गरिमा प्राप्त होगी।

2. **अधिकारों की सुरक्षा**

सदस्यों के विधिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक अधिकारों की रक्षा संघ द्वारा की जाएगी तथा किसी भी प्रकार के शोषण, भेदभाव अथवा अधिकार-ह्रास की स्थिति में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

3. **कौशल-विकास एवं उन्नति**

सतत शिक्षा, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सेमिनारों के माध्यम से प्रोफेशनल्स को अपने कौशल में वृद्धि एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अद्यतन रहने का अवसर मिलेगा।

4. **रोजगार एवं अवसर विस्तार**

संघ द्वारा सरकारी/गैर-सरकारी संस्थानों, अस्पतालों एवं प्रशिक्षण परिषदों से समन्वय स्थापित कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।

5. **सामाजिक प्रतिष्ठा एवं नेटवर्किंग**

राष्ट्रीय स्तर पर संगठित मंच मिलने से प्रोफेशनल्स को सामाजिक सम्मान प्राप्त होगा तथा एक मज़बूत नेटवर्क के अंतर्गत कार्य करने का अवसर मिलेगा।

6. **विधिक एवं प्रशासनिक सहयोग**

सदस्यों को विधिक मामलों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा पंजीकरण/मान्यता संबंधी विषयों पर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होगा।

7. **अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जुड़ाव**

संघ, WHO एवं अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों से समन्वय कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीतियों एवं मानकों को अपनाएगा जिससे सदस्यों को विश्वस्तरीय कार्य अवसर एवं मान्यता मिलेगी।

8. **सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्द्धन में योगदान**

सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर, आपदा राहत सेवाएँ, महामारी नियंत्रण तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से सदस्य समाजहित एवं राष्ट्रहित में सक्रिय योगदान दे सकेंगे।

9. **सदस्यों हेतु सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएँ**

संघ, अपने सदस्यों के लिए बीमा, आपातकालीन सहायता, छात्रवृत्ति, अनुसंधान अनुदान एवं पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाएँ प्रारम्भ करने की दिशा में कार्य करेगा।

10. **एकीकृत आवाज़ (Collective Representation)**

संघ, केंद्र एवं राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, परिषदों एवं नियामक संस्थाओं के समक्ष एक सशक्त प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होगा जिससे सदस्यों के हितों की रक्षा एवं उन्नति सुनिश्चित होगी।

भाग – 3: संगठनात्मक संरचना

अनुच्छेद 7: मुख्य निकाय

1 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति

2 राज्य इकाइयाँ

3 जिला इकाइयाँ

4 विशेष समितियाँ (जैसेः– महिला समिति, युवा समिति, अंतर–धर्म संवाद समिति आदि)

अनुच्छेद 8: प्रमुख पदाधिकारी

1. **अंतरराष्ट्रीय कार्यकारिणी**

अध्यक्ष	संगठन का सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नेतृत्व, विशेष प्रकल्पों का संयोजन
महासचिव	समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन और निगरानी
संयुक्त महासचिव	महासचिव का सहयोग, जोनल कार्यों का समन्वय
कोषाध्यक्ष	वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट, बजट
संगठन मंत्री	सदस्यता विस्तार, शाखा गठन
प्रवक्ता	मीडिया प्रतिनिधित्व, प्रेस नोट्स
आई.टी. प्रभारी	वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटलीकरण
धार्मिक समन्वयक	विभिन्न धर्मों के साथ समन्वय
सेवा प्रकल्प प्रमुख	सेवा आधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
संविधान सलाहकार	संगठन के विधिक व संवैधानिक मामलों की देखरेख
युवा एसोसिएशन संयोजक	युवाओं की भागीदारी व नेतृत्व विकास
महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष	महिला सशक्तिकरण व प्रतिनिधित्व

कमाण्डर	धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा

2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी

अध्यक्ष	संगठन का सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नेतृत्व, विशेष प्रकल्पों का संयोजन
महासचिव	समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन और निगरानी
संयुक्त महासचिव	महासचिव का सहयोग, जोनल कार्यों का समन्वय
कोषाध्यक्ष	वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट, बजट
संगठन मंत्री	सदस्यता विस्तार, शाखा गठन
प्रवक्ता	मीडिया प्रतिनिधित्व, प्रेस नोट्स
आई.टी. प्रभारी	वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटलीकरण
धार्मिक समन्वयक	विभिन्न धर्मों के साथ समन्वय
सेवा प्रकल्प प्रमुख	सेवा आधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
संविधान सलाहकार	संगठन के विधिक व संवैधानिक मामलों की देखरेख
युवा एसोसिएशन संयोजक	युवाओं की भागीदारी व नेतृत्व विकास
महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष	महिला सशक्तिकरण व प्रतिनिधित्व
कमाण्डर	धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा

3. प्रदेश कार्यकारिणी

अध्यक्ष	संगठन का सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नेतृत्व, विशेष प्रकल्पों का संयोजन
महासचिव	समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन और निगरानी
संयुक्त महासचिव	महासचिव का सहयोग, जोनल कार्यों का समन्वय
कोषाध्यक्ष	वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट, बजट
संगठन मंत्री	सदस्यता विस्तार, शाखा गठन
प्रवक्ता	मीडिया प्रतिनिधित्व, प्रेस नोट्स
आई.टी. प्रभारी	वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटलीकरण
धार्मिक समन्वयक	विभिन्न धर्मों के साथ समन्वय
सेवा प्रकल्प प्रमुख	सेवा आधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
संविधान सलाहकार	संगठन के विधिक व संवैधानिक मामलों की देखरेख

युवा एसोसिएशन संयोजक	युवाओं की भागीदारी व नेतृत्व विकास
महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष	महिला सशक्तिकरण व प्रतिनिधित्व
कमाण्डर	धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा

4. मण्डल कार्यकारिणी

अध्यक्ष	संगठन का सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नेतृत्व, विशेष प्रकल्पों का संयोजन
महासचिव	समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन और निगरानी
संयुक्त महासचिव	महासचिव का सहयोग, जोनल कार्यों का समन्वय
कोषाध्यक्ष	वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट, बजट
संगठन मंत्री	सदस्यता विस्तार, शाखा गठन
प्रवक्ता	मीडिया प्रतिनिधित्व, प्रेस नोट्स
आई.टी. प्रभारी	वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटलीकरण
धार्मिक समन्वयक	विभिन्न धर्मों के साथ समन्वय
सेवा प्रकल्प प्रमुख	सेवा आधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
संविधान सलाहकार	संगठन के विधिक व संवैधानिक मामलों की देखरेख
युवा एसोसिएशन संयोजक	युवाओं की भागीदारी व नेतृत्व विकास
महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष	महिला सशक्तिकरण व प्रतिनिधित्व
कमाण्डर	धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा

5. जिला कार्यकारिणी

अध्यक्ष	संगठन का सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नेतृत्व, विशेष प्रकल्पों का संयोजन
महासचिव	समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन और निगरानी
संयुक्त महासचिव	महासचिव का सहयोग, जोनल कार्यों का समन्वय
कोषाध्यक्ष	वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट, बजट
संगठन मंत्री	सदस्यता विस्तार, शाखा गठन
प्रवक्ता	मीडिया प्रतिनिधित्व, प्रेस नोट्स

आई.टी. प्रभारी	वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटलीकरण
धार्मिक समन्वयक	विभिन्न धर्मों के साथ समन्वय
सेवा प्रकल्प प्रमुख	सेवा आधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
संविधान सलाहकार	संगठन के विधिक व संवैधानिक मामलों की देखरेख
युवा एसोसिएशन संयोजक	युवाओं की भागीदारी व नेतृत्व विकास
महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष	महिला सशक्तिकरण व प्रतिनिधित्व
कमाण्डर	धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा

6. तहसील एवं ब्लॉक स्तर कार्यकारिणी

अध्यक्ष	संगठन का सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नेतृत्व, विशेष प्रकल्पों का संयोजन
महासचिव	समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन और निगरानी
संयुक्त महासचिव	महासचिव का सहयोग, जोनल कार्यों का समन्वय
कोषाध्यक्ष	वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट, बजट
संगठन मंत्री	सदस्यता विस्तार, शाखा गठन
प्रवक्ता	मीडिया प्रतिनिधित्व, प्रेस नोट्स
आई.टी. प्रभारी	वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटलीकरण
धार्मिक समन्वयक	विभिन्न धर्मों के साथ समन्वय
सेवा प्रकल्प प्रमुख	सेवा आधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
संविधान सलाहकार	संगठन के विधिक व संवैधानिक मामलों की देखरेख
युवा एसोसिएशन संयोजक	युवाओं की भागीदारी व नेतृत्व विकास
महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष	महिला सशक्तिकरण व प्रतिनिधित्व
कमाण्डर	धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा

7. ग्राम, नगर पंचायत एवं नगरपालिका स्तर की कार्यकारिणी

अध्यक्ष	संगठन का सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नेतृत्व, विशेष प्रकल्पों का संयोजन
महासचिव	समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन और निगरानी
संयुक्त महासचिव	महासचिव का सहयोग, जोनल कार्यों का समन्वय

कोषाध्यक्ष	वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट, बजट
संगठन मंत्री	सदस्यता विस्तार, शाखा गठन
प्रवक्ता	मीडिया प्रतिनिधित्व, प्रेस नोट्स
आई.टी. प्रभारी	वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटलीकरण
धार्मिक समन्वयक	विभिन्न धर्मों के साथ समन्वय
सेवा प्रकल्प प्रमुख	सेवा आधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
संविधान सलाहकार	संगठन के विधिक व संवैधानिक मामलों की देखरेख
युवा एसोसिएशन संयोजक	युवाओं की भागीदारी व नेतृत्व विकास
महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष	महिला सशक्तिकरण व प्रतिनिधित्व
कमाण्डर	धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा

8- विशेष प्रकोष्ठ/विभागीय पदाधिकारी

- अंतर–धार्मिक संवाद प्रमुख
- शांति एवं सद्भाव विभाग प्रमुख
- पर्यावरण और सेवा प्रमुख
- अधिवक्ता प्रकोष्ठ संयोजक
- चिकित्सा सेवा प्रमुख
- शिक्षा प्रकोष्ठ प्रमुख
- मानवाधिकार प्रकोष्ठ प्रमुख
- नैतिक शिक्षा एवं वैदिक विज्ञान प्रमुख

9. मुख्य कार्यवाहिनी

कार्यवाहिनी	उद्देश्य
युवा कार्यवाहिनी	युवाओं को नेतृत्व, सेवा और धर्म–संवाद में जोड़ना
महिला कार्यवाहिनी	महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व, सुरक्षा व सेवा को बढ़ावा
वृद्धजन कार्यवाहिनी	अनुभवजन्य मार्गदर्शन, ध्यान, आध्यात्मिक सशक्तिकरण
अल्पसंख्यक कार्यवाहिनी	धर्मों के बीच समरसता और अल्पसंख्यकों की भागीदारी
सेवा कार्यवाहिनी	समाजसेवा, राहत कार्य, रक्तदान, चिकित्सा शिविर
शांति व संवाद कार्यवाहिनी	धर्मों के बीच संवाद, सौहार्द्र और द्वेष–निवारण

शिक्षा एवं संस्कार कार्यवाहिनी	नैतिक शिक्षा, धर्मशास्त्र, संस्कार, शैक्षणिक प्रकल्प
किसान एवं ग्रामीण कार्यवाहिनी	ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता, सेवा काय
नवाचार एवं तकनीकी कार्यवाहिनी	डिजिटल प्रचार, आईटी प्रणाली, युवा तकनीकी कार्यकर्ता

भाग – 4 : कार्यप्रणाली और चुनाव

अनुच्छेद 9: कार्यकाल

- सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।
- पुनः चुनाव या मनोनयन संभव होगा।

अनुच्छेद 10: बैठकें

1. बैठक के प्रकार:

बैठक का नाम	उद्देश्य
वार्षिक आम सभा	संगठन की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा रिपोर्ट, नीतियाँ, चुनाव, बड़ी घोषणाएं
कार्यकारिणी बैठक	नीति निर्माण, योजनाओं की स्वीकृति, विभागीय निर्णय
विशेष बैठक	आवश्यक विशेष निर्णय, विवाद समाधान, संकट प्रबंधन
प्रादेशिक बैठक	स्थानीय गतिविधियों की समीक्षा, नवनियुक्ति, सदस्यता विस्तार
सेवा प्रकल्प बैठक	सेवा कार्यों की योजना, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग
युवा/महिला प्रकोष्ठ बैठक	संबंधित विंग की गतिविधियों की समीक्षा व योजना

2. बैठक की आवृत्ति:

बैठक	कितनी बार हो	न्यूनतम उपस्थिति
वार्षिक आम सभा	वर्ष में 1 बार	2/3 सदस्य
कार्यकारिणी बैठक	3–4 बार	50: सदस्य
विशेष बैठक	आवश्यकता अनुसार	उपलब्ध सदस्य

3. बैठक की प्रक्रिया

एजेंडा निर्माण	बैठक से 7 दिन पूर्व एजेंडा सभी सदस्यों को भेजा जाए।
नोटिस जारी करना	ईमेल, व्हाट्सएप या लिखित नोटिस द्वारा सूचना देना अनिवार्य।
अध्यक्षता	अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि बैठक की अध्यक्षता करें
कार्यवृत्त बनाना	बैठक के सभी निर्णयों का लिखित विवरण (मिनट्स ऑफ मीटिंग) तैयार हो और सभी सदस्यों को साझा किया जाए।
संकल्प पारित करना	बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाए
हस्ताक्षर	अध्यक्ष एवं सचिव दोनों के हस्ताक्षर से कार्यवृत्त प्रमाणित हो।

4. बैठक से जुड़े दस्तावेजः

- बैठक का नोटिस
- उपस्थिति पत्रक
- कार्यवृत्त
- संकल्प पत्र
- एजेंडा सूची
- पिछली बैठक की समीक्षा

5. डिजिटल बैठक

विशेष परिस्थितियों में बैठकों को जूम, गूगल मीट आदि पर भी आयोजित किया जा सकता है। इसकी रिकॉर्डिंग रखी जानी चाहिए।

अनुच्छेद 11: चुनाव प्रक्रिया

1. चुनाव के उद्देश्यः

- संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों का चयन
- लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना
- सेवा व नेतृत्व के लिए योग्य व्यक्तियों का चुनाव
- कार्यकाल पूरा होने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन

2. चुनाव के प्रकारः

प्रकार	उदाहरण

केंद्रीय चुनाव	अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष आदि का चुनाव
राज्य स्तरीय चुनाव	राज्य अध्यक्ष, राज्य महासचिव आदि
जिला / नगर चुनाव	जिला अध्यक्ष, जिला सचिव आदि

3. निर्वाचन समितिः

निर्वाचन की निष्पक्षता हेतु स्वतंत्र निर्वाचन समिति का गठन अनिवार्य है।

संरचनाः

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
- 2/4 सदस्य
- 1 कानूनी सलाहकार (यदि आवश्यक)
- 1 पर्यवेक्षक

4. चुनाव की प्रक्रिया

1. अधिसूचना

- चुनाव की तिथि, पदों की संख्या, प्रक्रिया और नामांकन की जानकारी

2. नामांकन

- निर्धारित फॉर्म पर आवेदन
- आवश्यक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न
- अंतिम तिथि तक जमा करना

3. जांच व स्वीकृति

- निर्वाचन समिति द्वारा नामांकन की जांच
- आपत्ति / निरस्त नामांकन की सूचना

4. प्रत्याशी सूची प्रकाशन

5 प्रचार अवधि

- सीमित अवधि, आदर्श आचार संहिता का पालन आवश्यक
- किसी धर्म या जाति पर टिप्पणी वर्जित

6. मतदानः

- गोपनीय बैलेट/डिजिटल वोटिंग
- पहचान पत्र अनिवार्य

- सभी वैध सदस्यों को मतदान का अधिकार

7 मतगणनाः

- चुनाव के तुरंत बाद निष्पक्ष गणना
- उम्मीदवारों की उपस्थिति में

8. परिणाम घोषणाः

- निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा
- प्रमाणपत्र/नियुक्ति पत्र वितरण

4. कार्यकाल

पद	कार्यकाल
केंद्रीय पदाधिकारी	3 वर्ष
राज्य/जिला पदाधिकारी	2 वर्ष

6. चुनाव विवाद समाधानः

- सभी आपत्तियाँ निर्वाचन समिति द्वारा सुनी जाएंगी
- अपील केवल संरक्षक मंडल के समक्ष की जा सकेगी (निर्धारित समय सीमा में)

7. आवश्यक दस्तावेज व फॉर्मेटः

- चुनाव अधिसूचना फॉर्मेट
- नामांकन फॉर्म
- मतदाता सूची
- प्रत्याशी सूची
- मतगणना पत्रक
- परिणाम घोषणा पत्र
- नियुक्ति प्रमाणपत्र

भाग – 5: वित्त एवं लेखा जोखा

अनुच्छेद 12: वित्तीय स्रोत

1. प्रमुख वित्तीय स्रोतः

❖ सामान्य सदस्यता, आजीवन सदस्यता, मानद

	सदस्यता
सदस्यता शुल्क	❖ जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अलग–अलग शुल्क हो सकते हैं ❖ यह एसोसिएषन का सबसे स्थायी और संगठित आय स्रोत होता है
दान व सहयोग	❖ व्यक्तिगत, पारिवारिक या संस्थागत दान ❖ धार्मिक नेताओं/समुदायों द्वारा सहयोग ❖ डिजिटल दान माध्यम
विशेष सहयोगी	❖ विशिष्ट सेवा सहयोगी सदस्य ❖ वार्षिक या प्रकल्प आधारित योगदान ❖ आयोजनों, सेमिनारों व प्रकाशनों के लिए प्रायोजक
कार्यक्रम पंजीकरण शुल्क	❖ सम्मेलनों, सभाओं, सेवा शिविरों, प्रशिक्षण आदि में नामांकन शुल्क ❖ सेवा के साथ स्वावलंबन का मेल
सरकारी/गैर–सरकारी अनुदान	❖ CSR कंपनियों से
प्रकाशन व प्रचार माध्यम	❖ स्मारिका, पत्रिका, धार्मिक बुकलेट आदि की बिक्री ❖ पोस्टर/स्टीकर/ध्वज/मालाएं आदि प्रचार सामग्री से आय
स्वयंसेवकों का सहयोग	❖ समय, सेवा, संसाधन या वित्तीय रूप में सहयोग ❖ "सेवाधारी सहयोग योजना" के अंतर्गत मासिक सहयोगकर्ता

2 वित्तीय पारदर्शिता के उपायः

- हर लेन–देन की रसीद और प्रविष्टि
- ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहन
- मासिक/त्रैमासिक वित्तीय रिपोर्ट
- वार्षिक लेखा परीक्षा अनिवार्य

• दानदाताओं को रसीद भेजना

अनुच्छेद 13: लेखा परीक्षा

1. लेखा परीक्षा का उद्देश्य:

• सभी आय–व्यय का सत्यापन

• दान, अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि की पारदर्शिता

• अनुचित खर्च या गबन की रोकथाम

• रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत बनाना

• कानूनी व नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना

2. लेखा परीक्षा के प्रकार:

प्रकार	विवरण
आंतरिक लेखा परीक्षा	संगठन के भीतर नियुक्त लेखा निरीक्षकों द्वारा त्रैमासिक/छमाही जांच
बाहरी लेखा परीक्षा	एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट (C.A.) या रजिस्टर्ड लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक ऑडिट
विशेष लेखा परीक्षा	किसी विशेष घटना/शकायत के बाद आवश्यकतानुसार

3. लेखा समिति

1.कोषाध्यक्ष संयोजक

2.एक स्वतंत्र ऑडिटर

3.महासचिव या संगठन मंत्री (वित्तीय अभिलेख हेतु)

4.एक वरिष्ठ सलाहकार सदस्य

5.आईटी प्रभारी (यदि डिजिटल भुगतान एवं ऑनलाइन खाता प्रणाली हो)

4. लेखा परीक्षा की प्रक्रिया:

▪ दस्तावेज संकलन:

• रसीदें, बिल, भुगतान वाउचर, दान रसीदें, बैंक स्टेटमेंट

• बही खाते, ऑनलाइन लेजर, नकदी पुस्तक

- **ऑडिट निष्पादनः**

• ऑडिटर द्वारा सभी रसीद–भुगतान की जांच

• व्यय की वैधता, अनुमोदन और बजट के अनुपात में मूल्यांकन

• संभावित त्रुटियों, अनियमितताओं की पहचान

- **रिपोर्टिंगः**

• वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (।नकपज त्मचवतज) तैयार की जाएगी

• रिपोर्ट को कार्यकारिणी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा

• सभी सदस्य एवं दानदाताओं के लिए सारांश सार्वजनिक किया जा सकता है (पारदर्शिता हेतु)

5. **लेखा नीति के मुख्य बिंदुः**

• नकद लेन–देन की अधिकतम सीमा तय की जाए

• सभी दान व खर्च रसीदबद्ध व दस्तावेजीकृत हों

• बजट स्वीकृति के बिना कोई बड़ा व्यय न हो

• सदस्यता/दान हेतु ऑनलाइन/**UPI**/बैंक भुगतान को प्राथमिकता

• त्रैमासिक लेखा समिति बैठक अनिवार्य हो

• प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र ऑडिटर से ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा।

भाग – 6: नियम उल्लंघन और अनुशासन

अनुच्छेद 14: अनुशासन

1. **अनुशासनहीनता के उदाहरणः**

- संगठन के संविधान, नियमावली या आदेशों का उल्लंघन
- धार्मिक/जातीय वैमनस्य फैलाना
- संगठन की छवि को नुकसान पहुँचाना (ऑनलाइन या ऑफलाइन)
- आर्थिक अनियमितता या पारदर्शिता की कमी
- पद का दुरुपयोग
- सेवा कार्यों में गंभीर लापरवाही

- किसी भी प्रकार की हिंसा, गाली–गलौच या धमकी
- असत्य प्रचार या भ्रामक सूचना फैलाना

2. **शिकायत की प्राप्तिः**

- किसी भी सदस्य, पदाधिकारी या कार्यकर्ता द्वारा लिखित शिकायत
- ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म या पत्र के माध्यम से
- शिकायत में पूरा विवरण, प्रमाण और गवाह (यदि हों) स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक

3. **अनुशासन समिति का गठनः**

पद	भूमिका
मुख्य अनुशासन अधिकारी	समिति के अध्यक्ष (अध्यक्ष या संरक्षक मंडल द्वारा नियुक्त)
महासचिव या प्रतिनिधि	दस्तावेज और प्रशासनिक समन्वय
एक वरिष्ठ सदस्य	निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु
महिला प्रतिनिधि	यदि शिकायत महिला संबंधी हो
कानूनी सलाहकार	गंभीर मामलों में (वैकल्पिक)

4- **अनुशासनात्मक कार्यवाही के चरणः**

प्रारंभिक जांच	• शिकायत की समीक्षा • प्राथमिक साक्ष्य एकत्र करना • यदि आवश्यक हो तो संबंधित पक्ष से प्रारंभिक प्रतिक्रिया लेना
नोटिस जारी करनाः	• संबंधित व्यक्ति को शो–कॉज नोटिस • उत्तर देने हेतु 3–7 कार्य दिवस की समय सीमा
सुनवाई / स्पष्टीकरणः	• यदि उत्तर असंतोषजनक हो या विवाद हो तो व्यक्तिगत / ऑनलाइन सुनवाई • दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर

निर्णय	•समिति की बैठक में विचार–विमर्श •प्रमाण व गवाहों के आधार पर निष्कर्ष

5. संभावित दंड

स्तर	कार्रवाई
प्रथम स्तर	मौखिक चेतावनी/लिखित चेतावनी
द्वितीय स्तर	अस्थायी निलंबन (1–6 माह)
तृतीय स्तर	पद से हटाना / पदावनति
चतुर्थ स्तर	संगठन से निष्कासन
विशेष स्थिति में	कानूनी कार्रवाई हेतु अग्रेषण

6. निर्णय की रिकॉर्डिंग और सूचनाः

- प्रत्येक निर्णय का लेखनात्मक आदेश तैयार किया जाए
- संबंधित को लिखित सूचना दी जाए
- निर्णय की प्रति कार्यकारिणीध्राज्य इकाई को भी भेजी जाए
- कार्यवृत्त में दर्ज किया जाए

7. अपील की प्रक्रियाः

- सदस्य को 15 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार
- अपील की सुनवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष/संरक्षक मंडल द्वारा की जाएगी
- अपील का निर्णय अंतिम माना जाएगा

भाग – 7ः संशोधन और विघटन

अनुच्छेद 15ः संविधान संशोधन

1. संशोधन का कारणः

- संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार
- नई परिस्थितियों के अनुसार नियमों को अद्यतन करना
- किसी विसंगति या अस्पष्टता को स्पष्ट करना

- विस्तार या नए प्रकल्पों को शामिल करना
- सरकारी/कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना

2. संशोधन प्रस्तावः

- कोई भी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य
- राज्य/जिला इकाई की लिखित अनुशंसा
- महासचिव या अध्यक्ष स्वयं भी कर सकते हैं
- प्रस्ताव में क्या शामिल होगा?
- संशोधित अनुच्छेद/खंड/नियम का उल्लेख
- वर्तमान शब्दावली और प्रस्तावित बदलाव संशोधन का औचित्य

3. संशोधन की प्रक्रियाः

चरण	विवरण
1. प्रस्ताव जमा	महासचिव के समक्ष लिखित प्रस्ताव
2. प्रारंभिक समीक्षा	संविधान सलाहकार व अध्यक्षीय समीक्षा
3. कार्यकारिणी समिति की बैठक	कम से कम 2/3 उपस्थिति आवश्यक
4. बहुमत से अनुमोदन	संशोधन को कार्यकारिणी के 2/3 बहुमत से स्वीकृति
5. आम सभा में पुष्टि	अगले वार्षिक आम सभा में सदस्य अनुमोदन
6. संशोधन लागू	वार्षिक आम सभा के अनुमोदन के बाद तत्काल प्रभाव से लागू

4. संशोधन की सीमाएं:

- एसोसिएषन के मूल उद्देश्य (सर्वधर्म समभाव, सेवा, अहिंसा) में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता
- धर्म, जाति, भाषा या राष्ट्र–विरोधी कोई प्रावधान स्वीकार्य नहीं होगा
- किसी भी संशोधन से संगठन की लोकतांत्रिकता प्रभावित नहीं होनी चाहिए

5. संशोधन के बाद के कार्यः

- संशोधित संविधान की कॉपी सभी सदस्यों को भेजी जाए
- वेबसाइट/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अद्यतन किया जाए
- संशोधित संविधान की प्रति पर अध्यक्ष व महासचिव के हस्ताक्षर
- सरकारी अभिलेख (यदि पंजीकृत संस्था हो) में संशोधन की सूचना दी जाए

6. प्रत्येक मोर्चा/प्रकोष्ठ के लिएः

- एक संयोजक **(Convener)**
- एक सह–संयोजक
- कार्यकारिणी टीम **(5/11 सदस्य)**
- संबंधित कार्य योजना व वार्षिक रिपोर्ट

अनुच्छेद 16: संस्था का विघटन

1. विघटन के संभावित कारणः

- संगठन की गतिविधियां बंद हो जाना
- कार्यकारिणी की निरंतर अनुपस्थिति या अक्षम्यता
- कानूनी या वित्तीय विवाद जो समाधान योग्य न हो
- संगठन के संविधान में निर्धारित अवधि का पूर्ण हो जाना
- सदस्य संख्या न्यूनतम सीमा से कम हो जाना
- कार्य और उद्देश्य में गंभीर टकराव या विफलता
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण रद्द होना (यदि पंजीकृत हो

2. विघटन का प्रस्ताव

- विघटन का प्रस्ताव केवल कार्यकारिणी समिति द्वारा लाया जा सकता है
- प्रस्ताव को सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक
- प्रस्ताव में निम्नलिखित होना चाहिएः
- विघटन का कारण
- बची हुई संपत्ति/कोष का निपटान कैसे होगा

- अंतिम तिथि

4. परिसमापन

विघटन के बाद बची हुई संपत्ति/बैंक बैलेंस/ सामग्री का उपयोग:

- किसी अन्य समान उद्देश्य वाले गैर–लाभकारी संगठन को दान
- ट्रस्टी /कार्यकारिणी को निजी लाभ के रूप में देना प्रतिबंधित
- सरकारी निर्देशों के अनुसार संपत्ति स्थानांतरण

5. विघटन के बाद के कार्य:

- सभी खातों की अंतिम लेखा परीक्षा (थ्पदंस ।नकपज)
- सभी पासबुक, रसीद पुस्तिकाएं, रजिस्टर आदि का निष्कासन
- वेबसाइट, सोशल मीडिया और डिजिटल उपस्थिति को बंद करना
- दानदाताओं व सदस्यों को सूचना देना
- कार्यालय स्थान और भौतिक संपत्ति का वैधानिक रूप से निपटान

6. सावधानियाँ:

- विघटन संगठन का अंतिम विकल्प हो–इसे हल्के में न लें
- पूरी पारदर्शिता और कानूनी सलाह के साथ आगे बढ़ें
- यदि सदस्य असहमति जताएं, तो मामला संरक्षक मंडल / न्यायिक मध्यस्थता में भेजा जा सकता है